बतारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/एल0आर0/3358/2004/अलवर बोदन बनाम सरबती व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
24.06.2022	**एकलपीठ** **श्री रामनिवास जाट, सदस्य** **<u>उपस्थित</u>** श्री योगेन्द्र सिंह, अधिवक्ता प्रार्थी । श्री एस0पी0सिंह, एवं श्री कौशल सिंह राठौड अधिवक्ता अप्रार्थी के। **<u>निर्णय</u>** प्रार्थी ने यह निगरानी राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1955 की धारा 84 के अन्तर्गत न्यायालय अति0 संभागीय आयुक्त, जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 10–05–2004 के विरूद्ध प्रस्तुत की है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम खतनखेडा के खाता संख्या 208 के किता 6 रकबा 1.68 है. तथा खाता संख्या 106 किता 4 रकबा 0.87 है0 का 1/2 भाग की रिकार्डेड खातेदार श्रीमती सरबती बेवा रामनिवास है। श्रीमती सरबती द्वारा एक दान पत्र दिनांक 18.05.02 के द्वारा इस भूमि को बोदन हो हस्तांतरित कर दिया। इस दान पत्र के आधार पर पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 30.05.02 को नामांतरकरण संख्या 144 भरा गया जिसे तहसीलदार ने दिनांक 19.06.02 को यह कहते हुयं खारिज कर दिया कि भूमि वर्तमान में रिसीवर के कब्जे में है इसलिए दान पत्र विधि विरूद्ध है। तहसीलदार के उक्त निर्णय की अपील अति0 जिला कलेक्टर, द्वितीय अलवर के समक्ष प्रस्तुत की जिसे उन्होने अपने निर्णय दिनांक 31.10.02 स्वीकार करते हुये तहसीलदार के निर्णय को निरस्त कर दिया। अति0 जिला कलेक्टर के उक्त निर्णय की द्वितीय अपील न्यायालय अति0संभागीय आयुक्त, जयपुर के समक्ष प्रस्तुत की। जिसे द्वितीय अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 1.05.04 स्वीकार करते हुये अति0 जिला कलेक्टर का निर्णय दिनांक	

बतारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/एल0आर0/3358/2004/अलवर बोदन बनाम सरबती व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	31.10.02 निरस्त कर दिया एवं प्रार्थी के हक में भरकर प्रस्तुत किया गया नामांतरकरण सं0 144 स्थगित कर दिया। न्यायालय अति0संभागीय आयुक्त, जयपुर के उक्त निर्णय से ग्रसित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गयी है। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण बहस निगरानी में सुनी गयी । विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में निगरानी मीमों अंकित तथ्यों दोहराते हुये कथन किया कि न्यायालय अति0संभागीय आयुक्त, जयपुर द्वारा पारित निर्णय न्याय, नियम व विधि के विपरीत होने से निरस्तनीय है। विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि तहसीलदार को नामातरकरण निर्णित करते समय यह निर्णित करने का अधिकार नहीं था कि प्रार्थी के हक में किया गया दान पत्र विधि विरूद्व है। उन्हें केवल नामांतरकरण तस्दीक किये जाने के लिए लैण्ड रिकार्ड रूल्स के नियम 104 से 131 की पालना कर निर्णित करना था इसलिए तहसीलदार का आदेश विधि विरूद्व व क्षेत्राधिकार विहीन था इसलिए अति0 जिला कलेक्टर ने तहसीलदार के निर्णय को अपास्त कर पुनः निर्णय करने के हेतु आदेश प्रदान किये थे। परन्तु अति0 संभागीय आयुक्त ने नामांतरकरण प्रक्रिया को स्थगित करने का विधि विरूद्व आदेश पारित किया है जो निरस्तनीय है। विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि खाता संख्या 208 में सम्मिलित भूमि पर जाप्ता फौजदारी के तहत रिसीवर नियुक्त किया गया जिसमें प्रार्थी से कब्जा लिया गया है एवं इस आधार पर कि खाता संख्या 208 पर रिसीवर नियुक्त है, नामांतरकरण को अस्वीकार नहीं किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त खाता संख्या106 पर रिसीवर नियुक्त नहीं था तो तहसीलदार को इस हद तक में नामांतरकरण तस्दीक करना चाहिए था। बहस के अंत में	

बतारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/एल0आर0/3358/2004/अलवर बोदन बनाम सरबती व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	विद्वान अभिभाषक ने निगरानी स्वीकार कर न्यायालय अति0 संभागीय आयुक्त द्वारा पारित निर्णय अपास्त कर विवादित आराजी का नामांतरकरण तस्दीक करने के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया। विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि सरबती ने वर्ष 1979 में महेन्द्र को गोद लिया और वक्त गोद से ही वह विवादित आराजी पर काबिज चला आ रहा है। बोदन ने गोदनामा को चुनौती दी जो खारिज कर दी गयी। जिसकी अपील की गयी वह भी दिनांक 17.12.94 को खारिज कर दी गयी। उसके बावजूद उसने हीबानामा करवा दिया। विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि गोदनामे को निरस्त कराने बाबत सिविल न्यायालय में प्रकरण चला था जिसकी निर्णय की अपील न्यायालय ए0डी0जे0, बहरोड में विचाराधीन है जो खारिज की गयी है।एक अन्य वाद संख्या 307/92 महेन्द्र सिंह बनाम सरबती विचाराधीन चल रहा है। इस प्रकार विवादित के संबंध में सी0आर0पी0सी का प्रकरण भी विचाराधीन चल रहा है। इसलिए उक्त विवादित आराजी बाबत प्रकरण भिन्न–भिन्न न्यायालयों में विचाराधीन चल रहे है इसलिए न्यायालय अति0 संभागीय आयुक्त द्वारा पारित निर्णय विधिसम्मत है। बहस के अंत में विद्वान अभिभाषक ने प्रस्तुत निगरानी को सारहीन होने से खारिज करने का निवेदन किया। उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली गहनता से वलोकन किया। न्यायालय अति0 संभागीय आयुक्त, जयपुर ने अपने निर्णय के अंतिम पैरा में अंकित किया है कि – ‘‘ निसंदेह विवादग्रस्त भूमि के संबंध में लंबे समय से उभयपक्ष के बीच मुकदमे विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन है।	

बतारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/एल0आर0/3358/2004/अलवर बोदन बनाम सरबती व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	उभयपक्ष इस भूमि के बारे में परस्पर लंबे समय से विवादरत है वर्तमान में भी विवाद विभिन्न न्यायालयों में लंबित है। रिपोर्ट गिरदावर को देखने से यह स्पष्ट है कि इस भूमि का बहुत बडा भाग खाता संख्या 208 किता 4 रकबा 1.68 है0 वर्तमान में रिसीवर के कब्जे में है। ऐसी स्थिति में राजस्व रिकार्ड में परिर्वतन किया जाना किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। इसके पक्षकारों के मध्य चल रहा विवाद बढेगा तथा इसका कोई सकरात्मक लाभ किसी भी पक्षकार को नहीं होगा। इस संबंध में आर0आर0डी0 1995 पेज 120 में प्रतिपादित सिद्धान्त प्रकरण में पूर्णतया लागू होता है जो निम्न प्रकार है– In case a mutaiton has been attested and suit between both the parties is also pending and an appeal (against the mutation) has been filed before the competent authority, the appellate authority is reqired to decide the appeal on merits- in case it finds that it isvery difficult to decide the isuse, the best course would be to set aside the impugned mutation and then stay further proceedings till the finalisation of the suit between the parties- In no case can the mutation be allowed to remain in tact. अतः उपरोक्त न्यायिक दृष्टांत के प्रकाश में तथा प्रकरण में लंबे समय से पक्षकारों के मध्य चल रहे विवाद के दृष्टिगत में यह उचित समझता हूँ कि वर्तमान में अपीलाधीन नामांतरकरण संख्या 144 को पक्षकारों के मध्य लंबित वादों के अंतिम निस्तारण तक स्थगित रखा जाना उचित होगा। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अति0 जिला कलेक्टर, द्वितीय अलवर तथा तहसीलदार, बहरोड द्वारा पारित दोनों आदेश निरस्त किये जाते है तथा विवादास्पद दानपत्र के द्वारा भरे गये नामांतरकरण संख्या 144 की कार्यवाही पक्षकारों के मध्य विवाद के अंतिम निस्तारण तक के लिए स्थगित की जाती है।''	

बतारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/एल0आर0/3358/2004/अलवर बोदन बनाम सरबती व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	इस प्रकार पत्रावली के पूर्ण विवेचन व विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि गोदनामे को निरस्त कराने बाबत सिविल न्यायालय में प्रकरण चला था जिसके निर्णय की अपील न्यायालय ए0डी0जे0, बहरोड में विचाराधीन रही है जो खारिज की गयी है। एक अन्य वाद संख्या 307/92 महेन्द सिंह बनाम सरबती विचाराधीन चल रहा है। इसी प्राकर विवादित भूमियों के संबंध में धारा 143, 144 व 146 Cr.P.C का प्रकरण भी विचाराधीन चल रहा है। जिससे भूमि विवादित होने से रिसीवरी में चल रही है। इस प्रकार विवादित भूमियों के संबंध में पक्षकारों के मध्य विभिन्न राजस्व मुकदमें व सिविल प्रकरण विचाराधीन चल रहे है। इसके अतिरिक्त यहां यह भी उल्लेखनीय है कि अति0 जिला कलेक्टर ने विवादित भूमियों के संबंध में विचाराधीन प्रकरण में आदेश 1 नियम 10 सी0पी0सी0 में पक्षकार बनाया था। जिस आदेश को कही भी चुनौती देकर निरस्त नहीं कराया है। जिससे वह एक अंतिम आदेश है। इसके आधार पर भी अप्रार्थी विवादित भूमि में हितबद्ध व अनिर्वाय पक्षकार होना सिद्ध व प्रमाणित होते है। उपरोक्त समस्त विवेचन व परीक्षण के उपरांत और प्रस्तुत विधिक दृष्टांत के आधार पर यह स्पष्ट है कि विवादित भूमियों के संबंध में पक्षकारों के मध्य विभिन्न न्यायालय में नियमित वाद विचाराधीन चल रहे है तो उन नियमित वाद के अंतर्गत ही उभयपक्ष को संपूर्ण साक्ष्य व सुनवाई का अवसर प्रदान करने के उपरांत ही गुणावगुण पर अंतिम निर्णय संभव हो पाता है। नामांतरकरण की कार्यवाही एक फिसक्ल प्रोसिडिंग है जिसमें उभयपक्षों को साक्ष्य व सुनवाई का अवसर प्राप्त नहीं होता है। उक्त आधार पर अति0 संभागीय आयुक्त, जयपुर द्वारा पारित निर्णय विधिसम्मत प्रतीत हाता है जिसमें	

बतारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/एल0आर0/3358/2004/अलवर बोदन बनाम सरबती व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	हम किसी प्रकारका हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते है। परिणामतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा न्यायालय अति0 संभागीय आयुक्त, जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 10.5.2004 बहाल रखा जाता है। निर्णय प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख नियमानुसार भिजवाया जावे। पत्रावली बाद इन्द्राज आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में नियमानुसार भेजी जावे। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(रामनिवास जाट)** **सदस्य**	